**Seventeenth Loksabha**

an>

Title: Re. Instruction to the State Government by the Central Government regarding endorsing of work proposal recommended by the Member of Parliament to the Central Government..

**सुश्री दिया कुमारी** (**राजसमन्द**): माननीय सभापति महोदया, मुझे एक आवश्यक विषय सदन के संज्ञान में लाना है ।

सांसद के द्वारा अपने क्षेत्र के लिए कोई मांग अथवा केन्द्र की किसी योजना का कार्य करवाने का आग्रह मंत्रालय से किया जाता है । सांसद केन्द्र सरकार को पत्र लिखता है कि मेरे क्षेत्र की यह मांग है, उस पर ध्यान दिया जाए और उसका प्रस्ताव बनाकर इस कार्य को करवाया जाए । लेकिन ऐसी स्थिति में मंत्रालय द्वारा जो जवाब आता है, उसमें यह लिखा जाता है कि राज्य से प्रस्ताव भिजवाया जाए । यदि राज्य में दूसरे दल की सरकार है, तो वह राज्य सांसद की अनुशंसा पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती है और प्रस्ताव नहीं भेजा जाता है । मैं उदाहरण देना चाहूंगी कि कुम्भलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य का प्रस्ताव केन्द्र सरकार ने राज्य को भेजा है, लेकिन अभी तक संबंधित राज्य सरकार द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है । यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव है और कुम्भलगढ़ में यह टाइगर सैंक्चुअरी बननी चाहिए ।

माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से निवेदन करना चाहूंगी कि अगर कोई भी सांसद पत्र लिखता है, तो केन्द्र सरकार का संबंधित मंत्रालय राज्य सरकार को डायरेक्शन दे । अगर सांसद का कोई पत्र है, तो प्रायोरिटी के आधार पर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, न कि सांसद को यह कहा जाए कि सांसद राज्य से प्रस्ताव भेजे । अगर केन्द्र, राज्य को डायरेक्शन दे कि वह प्रस्ताव भेजे क्योंकि सांसद ने यह ध्यान में लाया है ।... (व्यवधान)

**माननीय सभापति:** अब बैठ जाइए । एक मिनट में ही अपनी बात कहनी है ।

... (व्यवधान)

**माननीय सभापति :** आपका मैटर आ गया है ।

... (व्यवधान)

**सुश्री दिया कुमारी :** किसी भी सांसद की बात नहीं सुनी जा रही है ।... (व्यवधान)

**माननीय सभापति :** अब बैठ जाइए । आपका मैटर आ गया । एक लाइन को तीन बार बोलने की क्या जरूरत है?

... (व्यवधान)

**सुश्री दिया कुमारी:** मैं कहना चाहती हूँ कि हम लोग जो भेजते हैं, 'जल जीवन' योजना में भी यही हो रहा है । उसमें भी हम लोगों से नहीं पूछा जाता है । राज्य अपने हिसाब से आगे भेज देती है । काम भी होता है, तो उसके बाद हम लोगों को उसकी जानकारी नहीं मिलती है । जो भी सेन्ट्रल स्कीम्स हैं, उनकी जानकारी सांसद को नहीं मिलती है । सांसद केन्द्र को पत्र लिखता है, उस पर पूर्ण रूप से कार्रवाई नहीं होती है । राजस्थान में राज्य सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है । अगर सांसद की बात को, अगर केन्द्र ही यहाँ से राज्य को निर्देश दे कि सांसद ने पत्र लिखा है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और प्रस्ताव भेजा जाए । मेरा यही कहना है ।

धन्यवाद ।